बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20242025-41-2-2025-CN-1907916-1

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्ष ''5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-48-उ0प्र0 श्री शुक तीर्थ विकास परिषद द्वारा शुक क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452808004100 (जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	13,32,31,000 रुपये तेरह करोड़ बत्तीस लाख इकतीस हजार मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	2024-2025
कुल					**₹ 12,00,00,000**	**₹ 12,00,00,000**		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452801044800 (उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ विकास परिषद् द्वारा शुक क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	32,00,00,000 रुपये बत्तीस करोड़ मात्र	2024-2025
कुल				**₹ 12,00,00,000**	**₹ 12,00,00,000**		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- 41-जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित पर्यटन विकास-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख में रू0 1200.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- लेखाशीर्ष ''5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-48-उ0प्र0 श्री शुक तीर्थ विकास परिषद द्वारा शुक क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 1500.00 लाख का प्राविधान था। इस मद में रू0 1200.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-803-E-7-405-X-2024-25-दिनांक:27-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0 प्रयागराज

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मंजीत सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या -194/633(1)/41-2-2025-CN-1907916, दिनांक 28 मार्च, 2025</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।